

FORM NO III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी अराई

मुकाम अराई (अजमेर)

- गंगा पत्नी राजू जाति जाट निवासी हरडा की ढाणी ढसूक तहसील अराई जिला अजमेर राज।
-वादी।

बनाम

- अपराधी पुत्र मोडू जाति जाट निवासी हरडा की ढाणी ढसूक तहसील अराई जिला अजमेर
राजस्थान व अन्य
-प्रतिवादीगण।

किस्म मुकदमा- धारा 53 राज0 का0 अधि0 1955

दर्ज क्रमांक 56 / 2024

ऑनलाइन नंबर 2024 /

वकील प्रतिवादीगण.....

वकील वादी:- रामवतार शर्मा

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
27.08.2024	यह वादपत्र वादीगण की ओर से वकील वादी श्री रामवतार शर्मा ने अन्तर्गत धारा 53 राज.का. अधि. 1955 के तहत पेश किया गया। वाद पत्र पर वकील वादी को सुना गया तथा पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा प्रतिवादीगणों की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 20.09.2024 को पेश हो।	उपखण्ड अधिकारी अराई
28/9/24	पत्रावली पेश की वकील वादी/उपखण्ड वकील वादी द्वारा प्रतिवादीगणों की तलबी रजिस्ट्रार से कराते बाबत नोडिन मय 28/9/24 पेश की पत्रावली 18/10/24 को पेश हो	उपखण्ड अधिकारी अराई (अजमेर)
18/10/24	पत्रावली पेश की वकील वादी अमित वकील वादी की तलबी बाबत पत्रावली 18/10/24 पेश की पत्रावली 18/10/24 को पेश हो	उपखण्ड अधिकारी अराई (अजमेर)

